राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .514 / 2017..जिला...........जयपुर...

मैसर्स आर सन्स पाईप्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स प्रा0लि0, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत तृतीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.04.2017	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित बकाया मांग राशि 8,61,626 / – में से राशि रूपये 4,00,000 / – को एक वर्ष अथवा अपील निर्णय तक स्थगित किये जाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया तथा शेष राशि 4,61,626 / – को अस्वीकर किये जाने को व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत चुनौती दी गयी है । उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण किया गया, जिसकी अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई विधिक कारण अंकित नहीं किया है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक बकाया मांग राशि रू. 4,61,626 / – पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी Sprinkler System का निर्माता एवं विक्रेता है, जो कि Ordinary Agricultural Implements की परिभाषा में आते है एवं राज्य में करमुक्त है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो करारोपण किया गया, उसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15.03.2017 द्वारा व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया है एवं आंशिक अस्वीकार करने बाबत कोई विधिक कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात पाया कि प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 4,61,626 / – की वसूली कार्यवाही को इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के **दो माह** में उनके समक्ष लम्बित अपील का नित–प्रतिदिन सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। (मदन लाल)	